E.Mail
All DEO's

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र.प.3/III/A/Elec/Online/A.E./2018/4367 दिनांकः 15/04/2019

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान जयपुर।

प्रेषिति :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– **आगामी लोकसभा आम चुनाव 2019 में मतदान दलों एवं अन्य को यात्रा भत्ता आदि का भुगतान सीधे संबंधित के बैंक खातें में किये जाने बाबत।**

महोदय,

आगामी लोकसभा आम चुनाव 2019 में मतदान दलों एवं चुनाव संबंधी अन्य कार्यों में नियोजित कार्मिकों/अधिकारियों के यात्रा भत्तें एवं वाहन आदि का भुगतान, विधानसभा आम चुनाव 2018 की भॉति सीधे ही संबंधित के बैंक खाते में किया जाना है। इस संदर्भ में निम्न दिशा–निर्देश विभाग द्वारा जारी किये जा रहे है :–

1. सर्वप्रथम जिला निर्वाचन अधिकारी, कर्मचारियों की द्वितीय प्रशिक्षण ड्यूटी आदेश में जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध डाटा से NIC-UID, Employee ID और खाता संख्या प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगें।

2. द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगने वाले कार्मिकों द्वारा यात्रा भत्ता बिल में विवरण यथा NIC-UID, Employee ID, बैंक, ब्रांच का नाम, खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड एवं अन्य विवरण जो यात्रा भत्ता से संबंधित हो भरना सुनिश्चित करेगें। यदि कार्मिक/अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता बिल मे अंकित NIC-UID, Employee ID जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी आदेश से भिन्न है तो उसका सुधार जिला निर्वाचन कार्यालय के डेटा में जॉंच कर किया जायेगा।

3. जिला निर्वाचन अधिकारी संलग्न प्रपत्र – A अनुसार अपने जिला सूचना अधिकारी (DIO) से सम्पूर्ण कर्मचारियों का एक ही बार में डाटा (At one Time data) प्राप्त कर एक्सल फोरमेट में फाईल मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की ई–मेल आई.डी. fa.election@gmail.com पर तुरन्त भिजवाना सुनिश्चित करेगें। यदि जिला स्तर पर सम्पूर्ण डाटा उपलब्ध है तो उसे तुरन्त उपरोक्तानुसार भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

4. विधानसभा चुनाव के दौरान एक्सल फाईल से Text File तैयार कर बिल बनाने की प्रक्रिया में गलत डाटा पूर्ति (Feed) होने पर भुगतान में विलम्ब हुआ था इसको दृष्टिगत रखते हुये लोकसभा चुनाव–2019 के लिए पे–मैनेजर पर Election Payment का पृथक बिल मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है जो Other Bill में Election Payment के नाम से जिला निर्वाचन कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध होगा।

www.rajteachers.com

5. पे–मैनेजर पर Election Payment के बिल मॉड्यूल में किसी भी भुगतान के लिए बिल नम्बर आवंटन के पश्चात NIC-UID या Employee ID या खाता संख्या या पार्टी नम्बर से सर्च करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

6. NIC-UID या Employee ID अंकित करने पर उक्त बिल मॉड्यूल में डाटा स्वतः ही पे–मैनेजर/पीआरआई पे–मैनेजर में उपलब्ध विवरण यथा कर्मचारी का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड़, बैंक, बैंक खाता संख्या, बैंक ब्रांच नाम इत्यादि डाटा प्रदर्शित होगा। इसकी भली–भाति जाँच के पश्चात भुगतान योग्य राशि अंकित कर Submit करने पर उस बिल में कार्मिक/अधिकारी का डाटा जुड़ता जायेगा।

7. ऐसे कर्मचारी/अधिकारी जो केन्द्र सरकार, एल.आई.सी. या राज्य सरकार से भिन्न संस्था से संबंधित है उनके लिए अकाउण्ट नम्बर या पार्टी नम्बर से डाटा सर्च करने की सुविधा होगी जिसे जिला निर्वाचन कार्यालयों से प्राप्त डेटा से सम्बद्ध किया गया है। इसमें स्वतः ही कर्मचारी/अधिकारी का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड़, बैंक, बैंक ब्रांच, बैंक खाता संख्या नम्बर इत्यादि प्रदर्शित होगा। इसकी भली–भाति जाँच के पश्चात भुगतान योग्य राशि अंकित कर Submit करने पर बिल में कार्मिक का डाटा जुड़ता जायेगा।

8. चुनाव के दौरान वाहन इत्यादि या अन्य प्रकार के भुगतानों के लिए जिला स्तर पर ही एक्सल शीट से Text File तैयार कर पृथक से विधानसभा चुनाव की भांति (संलग्न प्रपत्र–B) अपलोड करने की व्यवस्था सिस्टम पर रखी गई है। फाईल अपलोड करने पर तथा बिल तैयार करने पर बिन्दु संख्या 7 के अनुसार नाम अथवा अकाउण्ट नम्बर अंकित करने पर Uploaded File अनुसार डाटा स्वतः ही प्रदर्शित होगा। इसकी भली–भांति जाँच कर, भुगतान योग्य राशि अंकित कर डाटा सबमिट किया जायेगा। उक्त डाटा आवंटित बिल में जुड़ता जायेगा।

9. पे–मैनेजर पर Election Payment से संबंधित समस्त रिपोर्ट Other bill reports के अन्तर्गत Election Payment '<u>REPORTS</u>' विकल्प के माध्यम से प्रदर्शित होगी।

10. उपरोक्त प्रक्रियानुसार आई.एफ.एम.एस. पे–मैनेजर पर एफ.वी.सी. बिल तैयार कर भली–भांति जाँच के पश्चात कोष कार्यालय को पारित करने हेतु प्रेषित करावें तथा भुगतान संबंधित अधिकारी/कार्मिक के बैंक खातें में स्थानान्तरित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतानों के रिजेक्टेड संव्यवहारों के निस्तारण हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F5(Th75)IFMS/eKuber/21475-874 दिनांक 21.03.2018 में वर्णित प्रक्रिया के अनुक्रम में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त भुगतानों को चुनाव प्रक्रिया में निर्धारित समयावधि के अनुसार सम्पादित किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11. आरक्षित मतदान/मतगणना दलों की राशि में से आउटराईट पेमेन्ट एवं अल्पाहार की राशि कम करके वास्तविक राशि का भुगतान किया जावें।

12. उक्त कार्यवाही पश्चात मतदान दलों के रवानगी दिवस पर मतदान दलों के प्रत्येक सदस्य के खाते में कितनी राशि स्थानान्तरित की गई, का ईकजाही विवरण मतदान दलवार तैयार कर संबंधित दल के पीठासीन अधिकारी को संलग्न परिशिष्ट– E में उपलब्ध कराया जावें। परिशिष्ट E के भाग B में विसंगतियों का विवरण भरकर देने हेतु संबंधित पीठासीन अधिकारी को निर्देशित करें। परिशिष्ट E में जो विसंगतियां पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्शाई गई हो, के अनुसार रिकार्ड में विसंगतियों का इन्द्राज कराकर संशोधित किया जावें।

www.rajteachers.com

13. उक्त प्रक्रिया में मतदान दलों में लगे जिस अधिकारी/कार्मिक की ड्यूटी रवानगी के समय निरस्त की गई हो एवं उसके स्थान पर अन्य कार्मिक की ड्यूटी लगाई जाने पर पूर्व में आहरित राशि की अविलम्ब वसूली सुनिश्चित की जाये। इस परिस्थितियों में निरस्त की गयी ड्यूटी से सम्बद्ध कार्मिक का व्यक्तिशः दायित्व भी होगा कि वह राशि अविलम्ब राजकोष में जमा करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी को दे अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

14. अति आवश्यक परिस्थितियों एवं ई–भुगतान से सम्बद्ध राशि के रिजेक्शन अथवा विलम्ब इत्यादि अपरिहार्य परिस्थितियों में चुनाव ड्यूटी के लिए दिए जाने वाले अग्रिम की राशि ए.सी. बिल से कोष कार्यालयों से आहरित की जा सकती है, जिसका समय पर डी.सी. बिल प्रेषित किए जाने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा।

15. उक्त वर्णित प्रक्रिया से ई–भुगतानों को चुनाव तिथि से एक सप्ताह पूर्व आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये।

16. मतदान/मतगणना दलों में नियोजित कार्मिकों को ई–भुगतान से चुनाव ड्यूटी/कार्यों हेतु उनके बैंक खातों में हस्तांतरित राशि की पूर्ण सूचना दी जाये व इसका कही अन्यन्त्र उपयोग न करने हेतु पाबन्द किया जाये। चुनाव सम्पन्न होने पर हस्तांतरित राशि के विरूद्व व्यय व अनुपयोजित राशि को जमा करवाने का पूर्ण विवरण भी लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीया

(डॉ. रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

क्र.प.3/III/A/Elec/Online/A.E./2018 दिनांकः /04/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक (IFMS), कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
2. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या 3944 दिनांक 10.04.2019 के क्रम में।
3. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी) निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर

वित्तीय सलाहकार,
निर्वाचन विभाग

www.rajteachers.com

प्रपत्र - A

नाम - 'A'

EMPSRNO	NIC UNIQUE ID	Party No	EMPCODE	Employee Name	Mobile	Office Code	BANK AC NO	IFSC Code	Election Post	VehicleNo
8346	3173762		RJJO201725006438	GANESH KANWAR	9057442343	12680	37002357944	SBIN0032094	FRO	
3436	2685873		RJJO200525028091	CHANCAL KARNIYALI	9461190190	12304	30180119244	SBIN0003258	FRO	
11285	2925851		RJJO200525035689	VEENA VYAS	9983323230	12820	30179550037	SBIN0003258	FRO	
14735	859490		RJJO199125007475	POORNA BOHARA	8769183006	13095	51041012850	SBIN0031205	FRO	
33899	2897355		RJJO199125020711	SARDA VYAS	7568435005	12644	51041048923	SBIN0031205	FRO	
24557	3216593		RJJO201825012054	SANTOSH	9079136531	12563	65264272222	SBIN0011303	FRO	
35507	1000571		RJJO201825015272	URMA DEVI	6377235049	12486	61067693991	SBIN0016160	FRO	
12630	3030742		RJJO201625007555	KAMALA	9929520509	12423	61312707046	SBIN0032116	FRO	
30046	3166268		RJJO201525007249	KULVEER KAUR	9549520228	12716	51113938870	SBIN0031153	FRO	

www.rajteachers.com

प्रपत्र - B प्रपत्र = 8

electionData

```
EMPSRNO|nicuid|PartyNo|EMPCODE|Name|Mobile|OfficeCode|bankactno|IfscCode|ElectionP
st|vehicleNo
8346|3173762||RJJO201725006438|GANESH
KANWAR|9057442345|7085|37002357944|SBIN003209|FRO|
3436|2685873||RJJO200525028091|CHANCAL
KARNIYALI|9461190190|7085|30180119244|SBIN0003258|FRO|
11285|2925851||RJJO200525035689|VEENA
VYAS|9983323230|12820|30179550037|SBIN0003258|FRO|
14735|859490||RJJO199125007475|POORNA
BOHARA|8769183006|13095|51041012850|SBIN0031205|FRO|
33899|2897355||RJJO199125020711|SARDA
VYAS|7568435005|12644|51041048923|SBIN0031205|FRO|
24557|3216593||RJJO201825012054|SANTOSH|9079136531|12563|65264272222|SBIN0011303|F
O|
35507|1000571||RJJO201825015272|URMA
DEVI|6377235049|12486|61067693991|SBIN0016160|FRO|
12630|3030742||RJJO201625007555|KAMALA|9929520509|12423|61312707046|SBIN0032116|FR
|
30046|3166268||RJJO201525007249|KULVEER
KAUR|9549520228|12716|51113938870|SBIN0031153|FRO|
55741|||RJJO201825040090|KHUSHBU
KUMARI|8118890104|12535|61174656775|SBIN0031257|FRO|
13127|3075635||RJJO201625034611|ANJANA
DEVI|7891343201|7085|61335490284|SBIN0031055|FRO|
18481|3003412||RJJO201525020239|MUNESHI
MEENA|9782411518|7085|51109825045|SBIN0031529|FRO|
42389|3220170||RJJS200820049019|REKHA
SWAMI|9413088922|12766|61040953122|SBIN0011306|FRO|
17443|3084084||RJJO201725000371|KELAMDE KUMARI
KANTIWAL|8094771085|29761|61103346201|SBIN0031162|FRO|
21464|||128339|Mr. Sunil Kumar
Lashkari|9414609757|0|49200101008146|CORP0000492|PRO|
45978|2972791||RJJO201425027409|NIDHI|8769004181|12316|31804201455|SBIN0006098|FRO|
19172|628494||RJJO198125006589|KOUSHLYA
VYAS|9829716044|13095|51040882008|SBIN0031205|FRO|
10589|1005041||rjjo201825012471|monika|7340486548|12487|20412471906|sbin0005103|FRO
|
38176|3006594||RJBI201509017384|CHANDRA
CHORADIA|9309259278|12630|51113041214|SBIN0031205|FRO|
48101|3043154||RJJO200525015959|DURGA
PALIWAL|9982632746|13095|51041036213|SBIN0031205|FRO|
37341|877332||RJJO199525006411|SUSHILA
@@@@!!CHOUHAN|9413643551|29765|51040885009|SBIN0031205|FRO|
55238|||0|BABITA SONI|0|29767|0||FRO|
16815|3173916||RJJO201725003775|SUNEEL
CHARAN|8561882649|12508|61032093450|SBIN0032115|PRO|
9849|3217724||RJJO201825011391|SITA
SIDDH|9828695636|13006|51083174776|SBIN0031160|FRO|
```


www.rajteachers.com

प्रपत्र - E

58 Annex - E

(20)

प्रपत्र–ब

विधानसभा आम चुनाव, 2013

यात्रा भत्ता/अल्पाहार भत्ता/एकमुश्त भुगतान राशि का संकलित विवरण

(अ) आपके मतदान दल में सम्मिलित सदस्यो के बैंक खातो में निम्नानुसार यात्रा भत्ता/अल्पाहार भत्ता/एकमुश्त भुगतान की राशि हस्तान्तरित की गई हैं:–

मतदान दल सं.	प्रशि. क्रमांक	नाम अधिकारी	म.द. दायित्व	बैंक खाता सं.	यात्रा प्रभार	दैनिक भत्ता	अल्पाहार भत्ता	एकमुश्त भुगतान	योग	विशेष विवरण
560	59	रामजीलाल मीणा	PRO	61050206554	504.00	1,200	120	167	1,991	
560	829	रामबिलास शर्मा	PO-I	51077372674	580.50	840	120	10	1,551	
560	708	देवेन्द्र जैन	PO2	51102460985	302.00	630	120	10	1,062	
560	24	श्री अकील अहमद	PO-III	20075472105	0.00	360	120	0	480	
		योग			1386.5	3030	480	187	5,084	0

(ब) यदि मतदान दल में सम्मिलित किसी सदस्य को बदला गया हैं तो उसको सम्मिलित करते हुए 01.12.2013 को मतदान दल की वास्तविक स्थिति व वास्तविक भुगतान का विवरण:--

मतदान दल सं.	प्रशि. क्रमाक	मतदान सम्पन्न होने तक मतदान दल में कार्यरत अधिकारी का विवरण	म.द. दायित्व	बैंक खाता सं.	बैंक का नाम	भुगतान की गई राशि	वास्तविक भुगतान योग्य राशि	वसूली योग्य राशि (6-5)	अतिरिक्त भुगतान योग्य राशि (6-5)	अंतर राशि जो जमा करानी हैं या भुगतान लेना हैं (8-7)
			PRO							
			PO-I							
			PO-II							
			PO-III							
			PO-IV							
		योग								

(स) यदि (अ) में अंकित किसी कर्मचारी को मतदान दल से हटाया गया हैं तो निम्नानुसार राशि की वसूली कर ही उसे कार्यमुक्त करे।

कार्यमुक्त दिवस	पी.आर.ओ	PO-I/PO-II//PO-IV		PO-III	विशेष विवरण
30.11.2013 को	887	550		380	
01.12.2013 को मध्यान्ह पूर्व	587	340		250	

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि भाग–ब के कॉलम सं0 6 के अनुसार सभी कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया हैं/प्राप्त कर लिया हैं तथा सभी अधिकारियों द्वारा एकमुश्त भुगतान राशि का पूरा उपयोग कर लिया गया हैं।

हस्ताक्षर

PO-IV **PO-III** **PO-II** **PO-I** **PRO**

अदेय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि मतदान दल संख्या........................के पीठासीन अधिकारी द्वारा अग्रिम भुगतान का हिसाब प्रस्तुत कर दिया गया हैं।

www.rajteachers.com

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी
(प्रभारी अधिकारी मतपत्र एवं लेखा)